

प्रेषक,

सी.एस. नपलच्याल,  
सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रभारी निदेशक,  
उत्तराखण्ड भाषा संस्थान,  
देहरादून।

भाषा अनुभाग

देहरादून: दिनांक/3 फरवरी, 2014

विषय: उत्तराखण्ड शासन के भाषा विभाग के अधीनस्थ उत्तराखण्ड भाषा संस्थान हेतु सृजित अस्थाई पदों की निरन्तरता/कार्यावधि बढ़ाया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक: 396/32-पद सृजित/उ0भा0सं0/2013-14, दिनांक 08 जनवरी, 2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भाषा विभाग के अधीन कार्यरत, उत्तराखण्ड भाषा संस्थान के लिए कार्यालय ज्ञाप संख्या-03/XXXIX-119/2008 19 फरवरी, 2010 द्वारा स्वीकृत अस्थायी पदों को निम्न विवरणानुसार दिनांक 01.03.2014 से 28.02.2015 अथवा बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त किए जाने तक निरन्तर चलते रहने की स्वीकृति श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

क्र0सं0	पदनाम	वेतनमान	ग्रेड वेतन	पदों की संख्या
1.	निदेशक	37400-67000	8900	01
2.	उपनिदेशक	15600-39100	6600	01
3.	सहायक निदेशक	15600-39100	5400	01
4.	वरिष्ठ लेखाधिकारी	15600-39100	5400	01
5.	लेखाकार	9300-34800	4200	01
6.	वैयक्तिक सहायक	5200-20200	2800	01
7.	प्रवर सहायक	5200-20200	2400	01
8.	कनिष्ठ सहायक सह डाटा ऐन्ट्री आपरेटर	5200-20200	1900	01
9.	वाहन चालक	5200-20200	1900	01
10.	अनुसेवक	4440-7440	1300	02
	प्रकाशन विभाग			
1.	प्रकाशन अधिकारी	9300-34800	4200	01
2.	अनुवादक	9300-34800	4200	01
3.	कनिष्ठ सहायक सह डाटा ऐन्ट्री आपरेटर	5200-20200	1900	01
4.	अनुसेवक	4440-7440	1300	01
	अनुसंधान विभाग			
1.	शोध अधिकारी	15600-39100	6600	01
2.	सहायक शोध अधिकारी	9300-34800	4200	01
3.	कनिष्ठ सहायक सह डाटा ऐन्ट्री आपरेटर	5200-20200	1900	01
4.	अनुसेवक	4440-7440	1300	01


2- उक्त संस्थान के कार्यालय में पद धारण करने वाले कर्मचारियों की सेवा शर्तें सम्बन्धित संवर्ग की सेवा नियमावली से अवधारित होंगी।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय आगामी वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-11 के लेखाशीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा-00-आयोजनेत्तर-05 भाषा विकास-102 आधुनिक भारतीय भाषाओं तथा साहित्य का संवर्धन(लघु शीर्षक 104 के स्थान पर) 04- उत्तराखण्ड भाषा संस्थान अधिष्ठान के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-ए0-1-1270/76-दस, दिनांक 20 जुलाई, 1968 सपठित कार्यालय ज्ञाप संख्या-ए-2-877/दस-92-24(8)/92, संख्या-ए-2-877/दस-92-24(8)92, दिनांक 07-11-92(यथा उत्तराखण्ड राज्य में प्रवृत्त)द्वारा प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित किये गये अधिकारों के अन्तर्गत प्रसारित किए जा रहे हैं।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-209/NP/XXVII(5)/2013-14 दिनांक 03-02-14 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,



(सी.एस. नपलच्याल)

सचिव।

संख्या- (1)/XXXIX/14-119/2008-तददिनांक:

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून।
- 2- प्रभारी निदेशक, उत्तराखण्ड भाषा संस्थान, देहरादून।
- 3- वरिष्ठ लेखाधिकारी, केन्द्रीयकृत लेखा एवं भुगतान कार्यालय, सचिवालय परिसर।
- 4- वित्त अनुभाग-5, उत्तराखण्ड शासन।
- 5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

( विनोद शर्मा )

अपर सचिव।